

## संशोधित पंजीयन आवेदन के साथ भेजे जाने वाले अनुलगनकों की सूची

1. समाचार पत्र का मूल आर.एन.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र। यदि प्रमाण पत्र गुम हो गया है तो पंजीयन प्रमाण पत्र गुम होने संबंधी शपथ पत्र के साथ डी.डी.ओ. आर.एन.आई. नई दिल्ली के पक्ष में देय 5/- रूपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर ।
2. संबंधित कॉलम में समान रूप से भरने के लिए कारण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रकाशक द्वारा भरा गया नया घोषणापत्र (फॉर्म-1) तथा डी.एम./ डी.सी./ एस.डी.एम/ जे.सी.पी./ सी.एम.एम. द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणीत। (यदि मुद्रक प्रकाशक नहीं है तो ऐसे मामले में मुद्रक द्वारा अलग से घोषणा करना अनिर्वाय है)
3. प्रिंटिंग प्रेस के कीपर तथा आवधिक के स्वामी के मध्य एक लिखित घोषणा, जिसमें दोनों पक्षों के हस्ताक्षर एवं पदनाम उल्लिखित हों, देनी होगी। (यदि प्रिंटिंग प्रेस का कीपर तथा आवधिक का स्वामी एक ही व्यक्ति है, तो यह घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है)
4. घोषणा के अधिप्रमाण के तुरंत बाद प्रकाशित अंक की एक प्रति अथवा जो भी नविनतम हो।

### **प्रकाशक कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि:-**

- I. प्रथम अंक में स्पष्ट रूप से आवरण पृष्ठ पर वर्ष-1, अंक -1 मुद्रित हो
  - II. अंक में मुद्रित शीर्षक, खुदरा विक्रय मूल्य (मूल्य निर्धारित प्रकाशन) पृष्ठ की संख्या तथा प्रकाशन की तारीख/ महीना/ वर्ष का उल्लेख हो।
  - III. शीर्षक/ मास्ट हेड एक समान फॉट/ अक्षर आकार में प्रदर्शित हों। इसमें परिवर्तन 25% से अधिक नहीं हो।
  - IV. प्रकाशित समाचारपत्र/ आवधिक में सार्वजनिक समाचार, विचार अथवा टिप्पणियां शामिल हों।
  - V. समाचारपत्र/ आवधिक उसी भाषा में प्रकाशित किया जाए जिसे आर.एन.आई. ने सत्यापित किया है।
  - VI. शीर्षक को अक्षरों/ शब्दों के स्थान पर प्रतीकों गैफिक्स एवं भावों के प्रयोग से बचा जाए।
  - VII. प्रत्येक प्रकाशित अंक में इम्प्रिंट लाइन निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं सही सूचना दी जाए ----- द्वारा प्रकाशित --  
----- द्वारा मुद्रित (प्रिंटिंग प्रेस का नाम तथा उसका पूरा पता) ----- से प्रकाशित (प्रकाशन स्थल का पूरा पता ठीक वही जो प्रपत्र-1 के कॉलम -6 में दिया है),  
संपादक ----- (अंग्रेजी अथवा हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में प्रकाशित पत्र पत्रिका के मामले में संदर्भ हेतु इम्प्रिंट लाइन अंग्रेजी/ हिन्दी भाषा में होना चाहिए ।
  - VIII. इम्प्रिंट लाइन में संपादक का नाम वही होना चाहिए जैसा घोषणापत्र में वर्णित है। प्रमुख संपादक ,उप संपादक, मुख्य संपादक, निवासी संपादक आदि का उल्लेख इम्प्रिंट लाइन के भाग के रूप में नहीं होना चाहिए ।
5. स्वामी द्वारा किसी व्यक्ति को (नामशः) लिखित में एक प्राधिकरण पत्र दिया जाना चाहिए ताकि यदि घोषणा करने वाला प्रकाशक अथवा मुद्रक स्वामी ना हो तो वह प्रकाशक मुद्रक के रूप में घोषणा कर सके ।
  6. यदि वार्षिक विवरणी जमा नहीं कराई है तो डी.डी.ओ., आर. एन. आई., नई दिल्ली के पक्ष में 500/- रूपए प्रति वर्ष का दण्ड जमा करना होगा (पी.आर.बी अधिनियम, 1867 की धारा 19 डी के तहत आर.एन.आई. में वार्षिक विवरणी जमा करना अनिर्वाय है)
  7. **मूल स्वामी के मृत्यु के कारण स्वामीत्व परिवर्तन**
    - मृतक स्वामी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
    - तहसीलदार अथवा किसी समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार के सदस्यों

- मृतक स्वामी के जीवित सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित अनापत्ति तथा स्वामी परिवर्तन संबंधी प्रमाण पत्र विधिवत रूप से डी.एम./ डी.सी./ एस.डी.एम/ जे.सी.पी./ सी.एम.एम के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुलग्नक 2 में उल्लेखित घोषणा की तारीख स्वामीत्व परिवर्तन की तारीख के बाद की नहीं होनी चाहिए।

**8. स्वामीत्व परिवर्तन (एकल से किसी अन्य एकल/ अस्विवा को)**

- डी.एम./ डी.सी./ एस.डी.एम/ जे.सी.पी./ सी.एम.एम के समक्ष विधिवत रूप से निष्पादित स्वामीत्व परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की प्रति। अनुलग्नक 2 में उल्लेखित घोषणा की तारीख स्वामीत्व परिवर्तन की तारीख के बाद की नहीं होनी चाहिए।

**9. स्वामीत्व परिवर्तन (फर्म द्वारा/ किसी एकल को स्वामित्व)**

- प्राधिकारी हस्ताक्षर द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत रूप से निष्पादित स्वामीत्व परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की प्रति। अनुलग्नक 2 में उल्लेखित घोषणा की तारीख स्वामीत्व परिवर्तन की तारीख के बाद की नहीं होनी चाहिए।

**10. पंजीकृत फर्म/ अस्तित्व के नाम/नामों में परिवर्तन/विलय के कारण स्वामीत्व परिवर्तन**

- न्यायालय के आदेश/निर्णय के विधिवत रूप से सत्यापित प्रति
- संबंधित जिले के कंपनियों के पंजीयक द्वारा जारी नाम में परिवर्तन को शामिल करते हुए प्रमाण पत्र की प्रति। अनुलग्नक 2 में उल्लेखित घोषणा की तारीख स्वामीत्व परिवर्तन की तारीख के बाद की नहीं होनी चाहिए।

**11. स्वामीत्व परिवर्तन जिस में समान शीर्षक के बहुसंस्करण जिसमें शामिल हो**

- संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट जिसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत समाचारपत्र/ अवधिक प्रकाशित/ मुद्रित होते हैं, के समक्ष विधिवत रूप से निष्पादित स्वामीत्व परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की प्रति। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रत्येक अलग अलग संस्करण के लिए निष्पादित स्वामीत्व परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र संबंधित जिला के कंपनियों द्वारा जारी नाम में परिवर्तन को शामिल करते हुए प्रमाण पत्र की प्रति। अनुलग्नक 2 में उल्लेखित घोषणा की तारीख स्वामीत्व परिवर्तन की तारीख के बाद की नहीं होनी चाहिए।

**12. भाषा (ओं) में शामिल करते हुए संशोधित पंजीयन:-**

भाषा में बदलाव के लिए एक नया घोषणापत्र दाखिल करने से पहले प्रकाशक/स्वामी को वांछित भाषा (ओं) में शीर्षक सत्यापन के लिए संबंधित जिला माजिस्ट्रेट के माध्यम से एक नया आवेदन करना अनिवार्य है। विभिन्न/अलग भाषा (ओं) में पंजीकृत शीर्षक के नए संस्करण के लिए पंजीयन के लिए इच्छुक प्रकाशकों के लिए भी यही लागू होता है।